समक्ष बिनोद कुमार रॉय, सी. जे. और सूर्य कांत, न्यायमूर्ति

प्रीतम सिंह - अपीलकर्ता

बनाम

पी.ओ.एल.सी.,यू.टी., चंडीगढ़ और एक अन्य,- उत्तरदाता

1994 का एल.पी.ए. नंबर 22

29 मई, 2004

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947- धारा 2(क) (ii) और 10(1)- प्रादेशिक क्षेत्राधिकार - औद्योगिक विवाद-संदर्भ- सेवा से छंटनी- कामगार ने आखिरी बार तरनतारन में कार्य किया -चंडीगढ़ स्थित प्रधान कार्यालय द्वारा जारी छंटनी आदेश लेकिन कार्य तरनतारन में किया-, धारा 10 (1) के तहत विवाद का चंडीगढ़ प्रशासन संदर्भ देते हुए - "उपयुक्त सरकार"- "उपयुक्त सरकार" के अधिकार क्षेत्र को प्रदान करने या निर्धारित करने के प्रश्न के लिए अधिनियम में एक स्पष्ट प्रावधान का अभाव—धारा (2के) के संदर्भ में औद्योगिक विवाद के सभी तत्व चंडीगढ़ में हुए थे - औद्योगिक विवाद की घटना केवल उस रोजगार के स्थान पर निर्भर नहीं करती है जहां श्रमिक कार्यरत था या जहां उसकी सेवा की छंटनी का आदेश प्राप्त होता है, हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।—यहां तक कि यदि किसी राज्य के राज्यक्षेत्र में कार्रवाई का एक हिस्सा उत्पन्न हुआ है, तो उसकी सरकार विवाद को संदर्भित करने के लिए सक्षम है और यदि कार्रवाई का कारण एक से अधिक राज्यों के क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ है, तो पीड़ित पक्ष संदर्भ के लिए किसी एक सरकार से संपर्क करने के लिए खुला है। चंडीगढ़ को धारा 2 (ए) (ii) के संदर्भ में उपयुक्त सरकार द्वारा किया गया एक वैध संदर्भ माना गया।

अभिनिर्धारित किया गया, यह कि यदि किसी राज्य के राज्यक्षेत्र में कार्रवाई का एक हिस्सा उत्पन्न हुआ है, तो भी उसकी सरकार विवाद को संदर्भित करने के लिए सक्षम है और यदि "कार्रवाई के कारण" की घटना के परिणामस्वरूप तथ्य एक से अधिक राज्यों के क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं, तो पीड़ित पक्ष के लिए यह खुला है कि वह विवाद को संदर्भित करने के लिए किसी एक राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है।

(पैरा 16)

इसके अलावा, यह एक राज्य के क्षेत्र के भीतर "औद्योगिक विवाद" या उसके एक हिस्से की घटना है जो उस राज्य की सरकार को औद्योगिक विवाद का संदर्भ देने के लिए उपयुक्त सरकार होने के नाते अधिकार देगा

और औद्योगिक विवाद की घटना केवल उस रोजगार के स्थान पर निर्भर नहीं करती है जहां श्रमिक कार्यरत था या जहां उसकी सेवा की बर्खास्तगी, निलंबन या छंटनी का आदेश प्राप्त होता है। "उपयुक्त सरकार" कौन है, यह निर्धारित करने का प्रश्न हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और वर्तमान मामले में निर्विवाद तथ्यों के प्रकाश में, यूटी चंडीगढ़ निश्चित रूप से "उपयुक्त सरकार" है जो औद्योगिक विवाद को निर्णय के लिए भेज सकती है।

(पैरा 17)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार।

रमन महाजन, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

निर्णय

सूर्य कांत, न्यायमूर्ति

(1) यह लेटर्स पेटेंट अपील 17 अगस्त, 1993 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित की गई है, जिसे एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं के एक समूह पर निर्णय देते हुए पारित किया था। कानून का प्रश्न, जो विचारार्थ उत्पन्न हुआ है, यह है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (ए) (ii) (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के संदर्भ में वर्तमान मामले में 'उपयुक्त सरकार' कौन होनी चाहिए ताकि (अधिनियम की) धारा 10(1) के तहत औद्योगिक विवाद का संदर्भ दिया जा सके।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलकर्ता को 12 जून, 1978 को पंजाब कृषि उद्योग निगम, चंडीगढ़ के प्रबंध निदेशक द्वारा उर्वरक क्लर्क के रूप में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं को 24 जनवरी, 1979 को नियमित किया गया था। तथापि, अपीलकर्ता को 24 फरवरी, 1983 के एक आदेश (अनुलग्नक पी-1) के माध्यम से सेवा से हटा दिया गया था, जिसे चंडीगढ़ स्थित प्रधान कार्यालय से जारी किया गया था लेकिन तरन तारन (पंजाब) में तैनात रहने के दौरान अपीलकर्ता को डाक दी गई थी। अपीलकर्ता ने 1983 की सिविल रिट याचिका संख्या 1399 में अपनी सेवाओं की समाप्ति के आदेश को चुनौती दी, जिसे इस आधार पर नोटिस स्तर पर खारिज कर दिया गया था कि अधिनियम के तहत वैकल्पिक और प्रभावोत्पादक उपाय अपीलकर्ता-कामगार के लिए उपलब्ध था। इसके बाद अपीलकर्ता ने 24 जून, 1983 को प्रबंधन को एक मांग नोटिस दिया लेकिन सुलह अधिकारी के समक्ष विवाद का समाधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अपीलकर्ता ने केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के प्रशासन से उनके द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवाद का संदर्भ मांगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने 8 जनवरी, 1993

को चंडीगढ़ में औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय को निम्नलिखित संदर्भ दिया।—

"क्या पंजाब कृषि उद्योग निगम के प्रबंधन द्वारा श्री प्रीतम सिंह की सेवाएं अवैध रूप से समाप्त कर दी गई थीं? यदि हां, तो वह किस प्रभाव से और किस राहत का हकदार है?

(3) प्रतिवादी-निगम ने अधिकार क्षेत्र की कमी के संबंध में श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष प्रारंभिक आपत्ति उठाई। दोनों पक्षों ने सबूत पेश किए। श्रम न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता तरनतारन और फगवाड़ा (पंजाब में दोनों स्थान) में प्रतिवादी निगम के शाखा कार्यालय में कार्यरत था और उसे छंटनी मुआवजा केवल तरन तारन में दिया गया था, चंडीगढ़ प्रशासन "उपयुक्त सरकार" नहीं है जो अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत संदर्भ दे सकता है।

(4) श्रम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय को अपीलकर्ता द्वारा 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 4704 में चुनौती दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 17 अगस्त, 1983 के आक्षेपित निर्णय के तहत उक्त रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि जिस रोजगार में श्रमिक कार्यरत था और उसकी सेवा की बर्खास्तगी का आदेश; निलंबन या छंटनी से धारा 10 के तहत संदर्भ देने के लिए सक्षम 'उपयुक्त सरकार' का निर्धारण होगा, न कि उस कंपनी के प्रधान कार्यालय का जहां से उक्त आदेश जारी किया गया था। इसलिए, यह पत्र पेटेंट अपील दायर की गई

(5) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है।

(6) अपीलकर्ता के वकील श्री दिनेश कुमार ने तर्क दिया कि प्रतिवादी-निगम का प्रधान कार्यालय केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित है और निगम के किसी कर्मचारी को नियुक्त करने, समाप्त करने, बर्खास्त करने, हटाने या निलंबित करने की शक्ति का उपयोग चंडीगढ़ में प्रधान कार्यालय द्वारा भी किया जाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अपीलकर्ता की 24 फरवरी, 1983 की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश (अनुबंध पी -1) भी प्रतिवादी-निगम द्वारा चंडीगढ़ में अपने प्रधान कार्यालय से पारित और जारी किया गया था हालांकि यह अपीलकर्ता को तब दिया गया था जब वह तरनतारन में तैनात था। अपीलकर्ता के वकील के अनुसार, तरन तारन में उनकी पोस्टिंग की केवल घटना, जहां उन्हें आदेश दिया गया था या छंटनी के आदेश के साथ छंटनी मुआवजे का भुगतान, जो अधिनियम की धारा 25-एफ के संदर्भ में एक अनिवार्य शर्त है, का "कार्रवाई का कारण" के रूप में कोई मतलब नहीं है। जो "औद्योगिक विवाद" में बदल गया था, वास्तव में केवल चंडीगढ़ में उत्पन्न हुआ था, इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत संदर्भ देने के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 2 (ए) (ii) के संदर्भ में एकमात्र "उपयुक्त राज्य सरकार" है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि भले ही तरन तारन में अपीलकर्ता द्वारा

छंटनी आदेश की प्राप्ति या छंटनी मुआवजे का भुगतान औद्योगिक विवाद को उठाने की कार्रवाई के हिस्से के रूप में हो, यह पंजाब सरकार और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा उपयोग किए जाने वाले समवर्ती अधिकार क्षेत्र का मामला होगा और ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ता विचाराधीन औद्योगिक विवाद के संदर्भ के लिए 'उपयुक्त सरकार' में से किसी से भी संपर्क करने के लिए स्वतंत्र था।

(7) दूसरी ओर, प्रतिवादी-निगम के विद्वान वकील श्री रमन महाजन ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का समर्थन करते हुए तर्क दिया है कि "कार्रवाई के कारण" की अवधारणा या "समवर्ती अधिकार क्षेत्र" अधिनियम के तत्त्वज्ञान के लिए विदेशी हैं क्योंकि क़ानून के प्रावधान इस संबंध में चुप हैं, इसलिए, औद्योगिक विवाद का संदर्भ देने के लिए सक्षम "उपयुक्त सरकार" का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए इन सिद्धांतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(8) इस बात पर शायद ही कोई विवाद हो सकता है कि अधिनियम की धारा 2(क) की उपधारा (i) में परिकल्पित विषयों से संबंधित औद्योगिक विवादों के संबंध में, किसी "औद्योगिक विवाद" का संदर्भ देने के लिए केवल केंद्र सरकार "उपयुक्त सरकार" है और "किसी अन्य औद्योगिक विवाद" के संबंध में, राज्य सरकार "उपयुक्त सरकार" है जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (क) की उपधारा (ii) में प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में जहां किसी प्रतिष्ठान की सभी गतिविधियां केवल एक राज्य के क्षेत्रों के भीतर की जाती हैं, उक्त राज्य की सरकार की "उपयुक्त सरकार" के रूप में कार्य करने की क्षमता के बारे में शायद ही कोई विवाद उत्पन्न होगा । तथापि, कठिनाइयां उन मामलों में उत्पन्न होती हैं जहां नियोक्ता के एक से अधिक राज्यों में प्रतिष्ठान हैं, जैसे कि वर्तमान मामले में, जहां प्रतिवादी-निगम का प्रधान कार्यालय चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित है लेकिन इसके शाखा कार्यालय पंजाब राज्य में फैले हुए हैं। यह सच है कि अधिनियम "कार्रवाई के कारण" को परिभाषित नहीं करता है और न ही यह इंगित करता है कि यदि किसी नियोक्ता के एक से अधिक राज्यों में प्रतिष्ठान हैं, तो औद्योगिक विवाद का संदर्भ देने के लिए "उपयुक्त सरकार" के अधिकार क्षेत्र को कौन से कारक प्रदान करेंगे या निर्धारित करेंगे। अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में कतिपय मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिसका संक्षिप्त संदर्भ इसके बाद दिया गया है।

(9) **लिप्टन लिमिटेड बनाम कर्मचारी**[1] के मामले में, नियोक्ता के 'बेहल' पर आग्रह किए गए बिंदुओं में से एक यह था

[1] एआईआर 1959 एससी 676

कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास दिल्ली कार्यालय के उन कर्मचारियों के संबंध में निर्णय देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जो दिल्ली राज्य के बाहर कार्यरत थे। हालांकि, दिल्ली कार्यालय के सभी कामगार, चाहे वे दिल्ली में काम करते हों या नहीं, उन्हें दिल्ली कार्यालय से अपना वेतन मिला; छुट्टी, स्थानांतरण, पर्यवेक्षण आदि के मामले में उन्हें दिल्ली कार्यालय से नियंत्रित किया जाता था। इस तर्क को खारिज करते हुए, लॉर्डशिप ने कहा कि दिल्ली राज्य सरकार नियोक्ता और संघ के बीच उत्पन्न विवाद से संबंधित अधिनियम की धारा 2 (ए) के अर्थ के अंतर्गत "उपयुक्त सरकार" थी और अधिनियम की धारा 18 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया निर्णय दिल्ली कार्यालय में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी था।

(10) **इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता बनाम उसके कामगार** [2] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया :—

> पीठ ने कहा, 'यह साझा आधार है कि जिस विवाद से हम संबंधित हैं वह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और यह राज्य सरकार है जिसके पास संदर्भ देने की क्षमता है. विवाद का मुद्दा यह है कि ऐसा करना किस राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। अधिनियम में इस प्रश्न को प्रभावित करने वाले कोई प्रावधान नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप, कार्यों या कार्यवाही पर विचार करने के लिए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, 1946 के प्रावधानों के तहत इसी तरह के एक सवाल से निपटते हुए, चागला, सीजे ने **लालभाई त्रिकमलाल मिल्स, लिमिटेड बनाम विन और अन्य**[3] के मामले में टिप्पणी की।:—

उन्होंने कहा, 'लेकिन हम यह तय करने के लिए चिंतित हैं कि विवाद कहां पैदा हुआ? अब, अधिनियम कार्रवाई के कारण से संबंधित नहीं है, न ही यह इंगित करता है कि कौन से कारक श्रम न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करेंगे। लेकिन अधिकार क्षेत्र के प्रसिद्ध परीक्षणों को लागू करते हुए, एक अदालत या न्यायाधिकरण के पास एक अधिकार क्षेत्र होगा यदि पक्ष अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं या यदि विवाद की विषय वस्तु काफी हद तक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होती है।

---

[2] (1962) 1 LLJ 409
[3] AIR 1967SC 1040

हमारी राय में, ये सिद्धांत यह तय करने के लिए लागू होते हैं कि अधिनियम की धारा 10 के तहत संदर्भ देने के लिए किस राज्य के पास अधिकार क्षेत्र है।

11. **कामगार बनाम श्री रंगविलास मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड**[4] (3) मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके फैसले में कहा गया है कि औद्योगिक विवाद के संबंध में "उचित सरकार" का फैसला करते समय विचार करने के लिए उपयुक्त प्रश्न यह है कि "विवाद कहां से उत्पन्न हुआ। आम तौर पर यदि श्रमिक एक अलग प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, तो विवाद उस स्थान पर उत्पन्न होगा। विवाद और राज्य के क्षेत्र के बीच कुछ सांठगांठ होनी चाहिए, न कि उद्योग और राज्य के क्षेत्र के बीच।

12. **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाम कामगार** (4) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने तथ्यों पर ध्यान देने के बाद कहा कि बैरकपुर शाखा कंपनी के बंगलौर डिवीजन के नियंत्रण में होने के बावजूद है फिर भी यह बैरकपुर में विमानों या पसंद की मरम्मत के उद्योग में लगी एक अलग शाखा थी; श्रमिक बैरकपुर में अपने वेतन पैकेज प्राप्त कर रहे थे और वहां तैनात कंपनी के अधिकारियों के नियंत्रण में थे और वास्तव में बैरकपुर शाखा एक उद्योग था जिसे कंपनी द्वारा एक अलग इकाई के रूप में और बैरकपुर में औद्योगिक शांति में किसी भी व्यवधान के मामले में चलाया जाता था, जहां काफी संख्या में कामगार काम कर रहे थे, औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए संबंधित उपयुक्त सरकार पश्चिम बंगाल सरकार थी; बैरकपुर के कर्मकारों की शिकायतें उनकी अपनी थीं और विचाराधीन औद्योगिक विवाद के संबंध में कार्रवाई का कारण वहां उत्पन्न हुआ (जोर दिया गया), यह माना गया कि इसलिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा इस तरह के विवाद के निर्णय के लिए संदर्भ अच्छा और वैध था।

(13) उद्धृत केस लॉ से जो बात उभरकर सामने आती है, वह यह है कि जिस तरह सिविल कानून में कार्रवाई के कारण की घटना को तथ्यों के पुलिंदा का पता लगाकर निर्धारित किया जा सकता है जो वादी को मांगे गए कानूनी दावों का हकदार बनाता है, उसी तरह उन तथ्यात्मक घटनाओं की खोज भी होगी जो एक "औद्योगिक विवाद" का गठन करती हैं जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्णय के लिए संदर्भ देने में सक्षम हैं। जाहिर है, प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियां पार्टियों के बीच "औद्योगिक विवाद" के अस्तित्व या आशंका को निर्धारित करेंगी, वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, शायद ही कोई विवाद हो सकता है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय चंडीगढ़ में प्रतिवादी निगम द्वारा लिया गया था। उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप चंडीगढ़ स्थित प्रतिवादी निगम के प्रधान कार्यालय से 24 फरवरी, 1983 (अनुलग्नक पी-1) को औपचारिक समाप्ति आदेश पारित किया गया। अपीलकर्ता को सेवा से हटाने का निर्णय लेते समय, चंडीगढ़ स्थित प्रधान कार्यालय द्वारा छंटनी मुआवजे का भुगतान करने का निर्णय भी लिया गया था।

---

[4] AIR 1975 SC 1737

प्रतिवादी निगम का प्रधान कार्यालय वास्तव में चंडीगढ़ में स्थित है और याचिकाकर्ता के रोजगार को बंद करने के संबंध में उपरोक्त निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी भी केवल चंडीगढ़ में स्थित है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 2 (के) के संदर्भ में "औद्योगिक विवाद" के सभी तत्व केवल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हुए थे। यह केवल सेवा की घटना है कि अपीलकर्ता को संबंधित समय पर तरनतारन में तैनात किया गया था, इसलिए, तरनतारन में प्रतिवादी-निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से उसे आदेश भेजा गया था। यह भी अच्छी तरह से तय है कि एक बार सेवाओं की समाप्ति का आदेश पारित होने और भेजने के बाद, यह प्रभावित कर्मचारी द्वारा औपचारिक प्राप्ति के बावजूद लागू हो जाता है। इसलिए हमारे मन में यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वर्तमान मामले में "औद्योगिक विवाद" वास्तव में केवल चंडीगढ़ में उत्पन्न हुआ था।

(14) अगला प्रश्न जो विचारार्थ उठता है वह यह है कि क्या चंडीगढ़ प्रशासन अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत संदर्भ देने के लिए सक्षम था या नहीं।. प्रतिवादी के वकील के अनुसार, प्रतिवादी निगम पंजाब सरकार द्वारा स्थापित एक निगम है और यह अधिनियम की धारा 2 (ए) (आई) के दायरे में नहीं आता है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ राज्य सरकार नहीं होने के कारण, अधिनियम की धारा 2 (ए) (2) के तहत संदर्भ देने में अक्षम था। हमारे विचार में, यह मुद्दा अब पुन: एकीकृत नहीं है। **पंजाब वित्तीय निगम बनाम संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ और अन्य**[5](5) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने कुछ इसी तरह की स्थिति से निपटने के दौरान निम्नानुसार निर्णय दिया था।—

> "3. जहां तक याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उजागर किए गए मामले के पहले पहलू का संबंध है, मेरे विचार से, इसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम घोषणा द्वारा निर्णायक रूप से दिया गया है, जिसे गोवा सैंपलिंग कर्मचारी संघ बनाम जनरल सुपरिटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एआईआर 1985 एससी 957 के रूप में रिपोर्ट किया गया है। इस तर्क की जांच करते समय कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में कोई राज्य सरकार नहीं है और केन्द्र सरकार, यदि एक कही जा सकती है, तो एकमात्र सरकार है और राज्य सरकार के अभाव में केन्द्र सरकार के पास भी राज्य सरकार की सभी शक्तियां होंगी, और इसलिए, केन्द्र सरकार संदर्भ देने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त सरकार होगी। संविधान के विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि क्या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को राज्य सरकार के रूप में वर्णित करना संवैधानिक रूप से सही होगा? यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राज्य सरकार की अवधारणा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए विदेशी है और अनुच्छेद 239 में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्र

[5] 1990 (2) PLR 327

शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाना है। राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य कर सकता है। प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। उनकी स्थिति किसी राज्य के राज्यपाल से पूरी तरह से अलग है। इसलिए, किसी भी दर पर, एक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्य सरकार के विवरण के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है। संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहां कहीं भी "राज्य सरकार" शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां केंद्र सरकार राज्य सरकार होगी। इसलिए, केन्द्र सरकार ही उपयुक्त सरकार है। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए 1957 के नियम 2 के खंड (च) में इस मामले को विवाद से परे ले जाया गया है जब यह कहा गया है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगिक विवाद के संबंध में, जिसके लिए उपयुक्त सरकार केंद्रीय संदर्भ है, केंद्र सरकार या भारत सरकार के संदर्भ को क्षेत्र के प्रशासक के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि इन संदर्भों के प्रयोजन के लिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार थी और केंद्रीय खंड अधिनियम की धारा 8 (बी) (iii) को ध्यान में रखते हुए, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को केंद्र सरकार माना जाना चाहिए यदि उसकी कार्रवाई उसे दिए गए अधिकार के भीतर थी।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क का दूसरा पहलू कि प्रशासक ने अधिसूचित अपने प्राधिकरण के भीतर काम नहीं किया है, अनुबंध आर 1/1 के अनुसार समान रूप से योग्यताहीन प्रतीत होता है। शब्दों का दायरा 'किसी भी कानून' को किसी भी राज्य कानून या राज्य अधिनियम में कम करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय अधिनियमों को बाहर करना। 'किसी भी कानून' का मतलब अनिवार्य रूप से सभी राज्य और केंद्रीय अधिनियम होंगे। अधिसूचना का एकमात्र निहितार्थ यह है कि किसी भी कानून के तहत सभी शक्तियां और कार्य (जैसा कि अधिसूचना के पहले भाग में उपयोग किया गया है) आगे से, यानी, इस अधिसूचना के जारी होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा किया जाएगा।. अधिसूचना के उत्तरार्द्ध में 'ऐसा कोई भी कानून' केवल उस कानून को संदर्भित करता है जिसके तहत प्रशासक कार्य करता है या कार्य करने वाला है।

(15) प्रतिवादी के वकील श्री रमन महाजन ने मेसर्स लिप्टन लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारियों (सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि जिस रोजगार में श्रमिक कार्यरत था और उसकी सेवा को बर्खास्त करने, निलंबन या छंटनी का आदेश प्राप्त हुआ था, अधिनियम की धारा 10 के तहत संदर्भ देने

के लिए सक्षम "उपयुक्त सरकार" का निर्धारण करेगा। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

लॉर्डशिप द्वारा की गई टिप्पणियों कि "औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास लिप्टन लिमिटेड और दिल्ली कार्यालय के उसके श्रमिकों के बीच विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था", का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि दिल्ली में औद्योगिक न्यायाधिकरण मैसर्स लिप्टन लिमिटेड और उसके उन कामगारों के बीच विवाद का निर्णय ले सकता है जो दिल्ली कार्यालय में कार्यरत थे, न कि दिल्ली के बाहर तैनात अन्य लोगों के बीच।

(16) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल या कोर्ट का विवादों के त्वरित निर्णय का एक कठिन कर्तव्य है क्योंकि इस कल्याणकारी कानून की नींव श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने में निहित है। विधायी इरादे को प्राप्त करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जाती थी। इसलिए, हमारा यह भी मानना है कि यद्यपि अधिनियम के प्रावधान "कार्रवाई के कारण" की घटना के संबंध में चुप हैं, फिर भी सिविल कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए निर्धारित सिद्धांतों को आमतौर पर उधार लिया जा सकता है और 'औद्योगिक विवाद' के संदर्भ के लिए सेवा में लगाया जा सकता है। तदनुसार, हम यह व्यवस्था देते हैं कि भले ही किसी राज्य के राज्यक्षेत्र में कार्रवाई का एक हिस्सा उत्पन्न हुआ हो, उसकी सरकार विवाद का उल्लेख करने के लिए सक्षम है और यदि "कार्रवाई के कारण" की घटना के परिणामस्वरूप तथ्य एक से अधिक राज्यों के क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं, तो पीड़ित पक्ष के लिए यह खुला है कि वह विवाद को संदर्भित करने के लिए किसी एक राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है।

(17) ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, हमारा विचार है कि यह किसी राज्य के क्षेत्र के भीतर "औद्योगिक विवाद" या उसके एक हिस्से की घटना है जो उस राज्य की सरकार को "उचित सरकार" होने के नाते औद्योगिक विवाद का संदर्भ देने का अधिकार देगी और औद्योगिक विवाद की घटना केवल उस रोजगार के स्थान पर निर्भर नहीं करती है जहां श्रमिक कार्यरत था या कहां। उसकी सेवा की बर्खास्तगी, निलंबन या छंटनी का आदेश प्राप्त होता है। हमारा विचार है कि "उपयुक्त सरकार" कौन है, यह निर्धारित करने का सवाल हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और वर्तमान मामले में निर्विवाद तथ्यों के प्रकाश में, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ निश्चित रूप से "उपयुक्त सरकार" है जो औद्योगिक विवाद को निर्णय के लिए भेज सकती है। ऐसा होने पर, एकल न्यायाधीश के साथ-साथ चंडीगढ़ में श्रम न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि पंजाब सरकार एकमात्र उपयुक्त सरकार है जो वर्तमान मामले में निर्णय के लिए औद्योगिक विवाद को संदर्भित कर सकती है।

तदनुसार, हम इस अपील की अनुमति देते हैं; श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 14 मार्च, 1989 (अनुलग्नक पी-6) और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 17 अगस्त, 1993 के निर्णय को निरस्त करते हुए कहा कि संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा किए गए वर्तमान मामले में "औद्योगिक विवाद" का संदर्भ अधिनियम की धारा 2 (ए) (ii) के संदर्भ में "उपयुक्त सरकार" द्वारा किया गया एक वैध संदर्भ है। तदनुसार, चंडीगढ़ स्थित श्रम न्यायालय गुण-दोष के आधार पर विवाद का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता को 20 साल से अधिक समय पहले निकाल दिया गया था और वह केवल उसके द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवाद की दहलीज पर एक या दूसरे मंच के समक्ष लंबित है। इसलिए, हमें आशा और विश्वास है कि चंडीगढ़ में श्रम न्यायालय इस मामले को जल्द से जल्द छह महीने के भीतर गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए सभी गंभीर प्रयास करेगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी